न्यायालय राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड।

द्वितीय अपील संख्या —05 वर्ष 2001—02 अन्तर्गत धारा—331(4) जमीनदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम।

श्री राम सिंह पुत्र गंगा सिंह व नरेन्द्र सिंह और मोहन सिंह पुत्र आनन्द सिंह, निवासी ग्राम—लालढांग बन्दोबस्ती, परगना व तहसील रामनगर, जिला नैनीताल।

—अपीलकर्तागण।

बनाम

श्री वाघम्बर सिंह पुत्र हरक सिंह व गाँव सभा लालढांग व उत्तराखण्ड सरकार बजरिये कलेक्टर, नैनीताल।

—विपक्षीगण।

बावत

गाटा सं0—10, 229/2, 230, 233 व 236 कुल रक्वा 7.077 है0 स्थित ग्राम लालढांग बन्दोबस्ती परगना व तहसील रामनगर, जिला नैनीताल।

निर्णय

इस द्वितीय अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रतिवादी संख्या—1 वाघम्बर सिंह ने अपीलकर्ताओं के विपरीत सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी), काशीपुर के न्यायालय में जमीनदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 229बी/176 के अन्तर्गत वाद संख्या—22/130 वर्ष 1995—96 योजित किया था जो न्यायालय द्वारा गुण अवगुण के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया जिससे क्षुब्ध होकर उसने अपर आयुक्त (न्यायिक), नैनीताल के न्यायालय में अपील की जिन्होंने उन्हें विवादित भूमि के आधे भाग का हकदार पाया व तद्नुसार अपील डिक्री कर दी। अपर आयुक्त (न्यायिक) द्वारा वाद संख्या—147/178(1998—99)/54 (1999—2000)/10(2000—2001) में पारित निर्णय दिनांक 26 नवम्बर, 2011 के विरूद्व यह द्वितीय अपील योजित की गई है।

इस न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सुनने के बाद आदेश दिनांक 7 अप्रैल, 2010 द्वारा द्वितीय अपील में निहित विधि के महत्वूर्ण बिन्दु निर्धारित किए गए जिनके संबंध में मैं अपना मत निम्न प्रकार व्यक्त करता हूँ :—

(i) क्या जिम्मन—3 में दर्ज भूमि विभाजन योग्य है और क्या उसका जमीनदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा—176 के अन्तर्गत विभाजन किया जा सकता है ?

धारा—176 पठनीय है। यह निम्नवत है:—

" 176. भूमिधर के खाते का विभाजन योग्य होना—

(1) भूमिधर अपने खाते के विभाजन का वाद प्रस्तुत कर सकता है

(2) ऐसे प्रत्येक वाद में उससे सम्बन्ध रखने वाली गाँव सभा पक्षकार बनाई जायेगी। "

यह पक्षकारों को मान्य है कि विवादित भूमि का खाता खतौनी के वर्ग–3 में अंकित है। भू लेख नियमावली के नियम 124 में बताया गया है कि खतौनी के भाग एक में वर्ग 3 में ऐसी भूमि के खाते हैं जो आसामियों के अध्यासन या अधिकार में हों। अतः यह स्पष्ट है कि आसामी रहते हुए धारा 176 के अन्तर्गत खाते का विभाजन नहीं किया जा सकता है। चूँकि सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी), काशीपुर ने प्रतिवादी का वाद अस्वीकार कर दिया था तथा अपर आयुक्त (न्यायिक), नैनीताल ने अपने आदेश में विवादित भूमि के विभाजन के संबंध में कुछ नहीं कहा है इस विधिक प्रश्न का उत्तर इस द्वितीय अपील को स्वीकार करने में सहायक नहीं है।

(ii) क्या अपीलीय न्यायालय धारा–229बी जमीनदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत विशिष्टतः जब कि उसके द्वारा विवादित भूमि पर प्रतिउत्तरदाता संख्या–1 के निरन्तर कब्जा होने का निष्कर्ष दिया गया हो, प्रतिउत्तरदाता संख्या–1 को सह खातेदार घोषित करने में सक्षम था ?

अपीलीय न्यायालय को वे ही शक्तियाँ प्राप्त हैं जो उस न्यायालय को प्राप्त थीं जहाँ वाद योजित किया गया था, अतः अपीलीय न्यायालय प्रतिउत्तरदाता संख्या–1 को सहखातेदार घोषित करने में सक्षम था। इस विधिक प्रश्न का उत्तर भी द्वितीय अपील को स्वीकार करने में सहायक नहीं है।

(iii) क्या प्रतिउत्तरदाता संख्या–1 का वाद भारतीय मियाद अधिनियम की धारा–6 के अन्तर्गत है जब कि वयस्कता प्राप्त करने के 3 वर्ष के अन्दर योजित न किया गया हो पोषणीय था ?

यह स्पष्ट है कि वयस्क होने के 19 वर्ष बाद मूल वाद योजित किया गया जब कि सामान्यतः वयस्कता की आयु प्राप्त करने के 3 वर्ष के भीतर वाद योजित कर देना चाहिए था। दूसरी ओर यह भी स्पष्ट है कि मूल वाद का विरोध करते समय इस द्वितीय अपील में अपीलकर्ताओं ने यह बिन्दु नहीं उठाया था तो योजित वाद की सुनवाई गुण अवगुण के आधार पर की गई। अतः मेरे मत में मूल वाद बेमियाद होने का विधिक प्रश्न द्वितीय अपील के स्तर पर नहीं उठाया जा सकता है जब कि मूल वाद तथा अपील में यह बिन्दु द्वितीय अपील में अपीलकर्ताओं ने कभी न उठाया हो। अतः यह विधिक प्रश्न भी द्वितीय अपील को स्वीकार करने में सहायक नहीं है।

(iv) क्या साक्ष्य के गलत पाठन से न्याय का हनन हुआ है ?

पक्षकारों को यह मान्य है कि इस द्वितीय अपील में प्रतिउत्तरदाता संख्या–1 के पिता का नाम बतौर आसामी कागजात माल में दर्ज था उस समय अपीलकर्ता के पिताजी श्री आनन्द सिंह का नाम भी बतौर आसामी दर्ज था। यह भी पक्षकारों को मान्य है कि प्रतिउत्तरदाता संख्या–1 की मृत्यु 1367 फसली (जुलाई, 1959) से पूर्व हो गई थी। विवादित भूमि पर ज़मीनदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम सन् 1960 में लागू हुआ। अधिनियम लागू होने से पूर्व आसामियों को जो हक् अधिनियम द्वारा दिए गए हैं वे उपलब्ध नहीं थे। आसामी काश्तकार को उक्त अधिनियम लागू होने से पूर्व inheritable rights विधि में उपलब्ध नहीं थे जो उक्त अधिनियम की धारा–171 द्वारा प्रदत्त किए गए। ज़मीनदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने से पूर्व आसामी को उसकी काश्त से बेदखल किया जा सकता था जब कि उक्त अधिनियम की धारा–200 के अनुसार अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुकूल ही आसामी को बेदखल किया जा सकता है।

नाबालिग होने के कारण प्रतिउत्तरदाता संख्या–1 काश्त करने के काबिल नहीं था जिस कारण ही उसका नाम कागजात माल में बतौर आसामी नहीं चढ़ाया गया व उसके पिता जी की मृत्यु होने पर उनके परिवार में कोई व्यक्ति जो भूमि पर काश्त करने में सक्षम हो उपलब्ध न होने के कारण विवादित भूमि का आसामी न बन सका।

उपरोक्त विवेचना से विदित है कि प्रतिउत्तरदाता संख्या–1 का विवादित भूमि में कोई हक नहीं था। इस प्रकार अवर न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्य का सही पाठन न करने से न्याय का हनन हुआ। इस कारण द्वितीय अपील स्वीकार करने योग्य है।

(v) क्या धारा–229बी ज़मीनदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत योजित घोषणात्मक वाद धारा 80 सी0पी0सी0 एवं धारा 106 पंचायतराज एक्ट के प्राविधानों के अनुपालन के अभाव में अग्राह्य/अपोषणीय था ?

यह सही है कि धारा 80 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सरकार को व धारा 106 पंचायतीराज अधिनियम के अन्तर्गत गाँव सभा को निर्धारित मियाद का नोटिस देने पर ही धारा–229बी ज़मीनदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम का वाद पोषणीय/ग्राह्य है परन्तु यह बिन्दु यदि उत्तराखण्ड सरकार या गाँव सभा लालढांग द्वारा उठाया जाता तो इसका प्रभाव पड़ता। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या–18125/2012 श्रीमती रेखा बनाम श्रीमती वीरमती व एक अन्य में दिनांक 13 अप्रैल, 2012 में दिए गए निर्णय से मैं सहमत हूँ जिसमें उन्होंने कहा है कि " it is quite clear that objection with respect to want of notice under Section 80 CPC cannot be taken by a private individual since it is for the benefit of Government and its officials, and, therefore, it can be taken only by them and would be considered if it is framed by those for whose benefit the provision has been made. A private individual cannot challenge the proceeding by taking the plea of want of notice under Section 80 CPC. "

अतः यह विधिक प्रश्न द्वितीय अपील स्वीकार करने में सहायक नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर द्वितीय अपील बलयुक्त पाई जाती है व तद्नुसार अपर आयुक्त (न्यायिक), नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 26 नवम्बर, 2001 निरस्त किया जाता है। वादी अपना वाद खर्च स्वंय वहन करेंगे।

देहरादून,
07 अक्टूबर, 2013

(सुनील कुमार मुट्टू)
अध्यक्ष।